पत्र संख्याः–15 / व 3–25 / 94 - 1262
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,

Regd.

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक......30/6/....2015

विषयः– राम लखन सिंह यादव कालेज, अनीसाबाद, पटना का संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–G III A/477/14 दिनांक–11.08.2014 के द्वारा राम लखन सिंह यादव कालेज, अनीसाबाद, पटना के कला एवं वाणिज्य संकाय के कतिपय विषयों में संबंधन दीर्घीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी समीक्षोपरान्त राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–1098 दिनांक 19.04.86 के द्वारा निर्गत परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन निम्न बिन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता हैः–

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के सुरक्षित कोष में जमा राशि 70,012 / –रू० की सम्पुष्टि विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है।
2. जिन विषयों में संबंधन से संबंधित परिनियम के आलोक में जो विश्वविद्यालय के सुरक्षित कोष में राशि जमा करने थे वे जमा नहीं किये गये, हैं।
3. जमीन को लीज पर लिये जाने से पूर्व बिहार धार्मिक न्यास परिषद से अनुमति लेना आवश्यक है, जो नहीं ली गयी है।

अतएव उपरोक्त अंकित आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय ताकि महाविद्यालय को संबंधन दिये जाने पर विचार किया जा सके।

विश्वासभाजन,

30/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा